



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्


परिवेश भवन, पाटलिपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

का0आ0सं0: ११

पटना, दिनांक:- 29/6/19

## अधिसूचना

बिहार राज्य के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाईयों को भूगर्भीय जल दोहन हेतु राष्ट्रीय भूगर्भीय जल प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में विहित प्राधिकार से पर्षद द्वारा निर्गत Referral Letter की मांग की जाती है। 10 किलोलीटर प्रतिदिन तक भूगर्भीय जल के दोहन हेतु औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त आवेदन के आलोक में Referral Letter निर्गत करने के लिए पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। 10 किलोलीटर प्रतिदिन से अधिक भूगर्भीय जल दोहन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में Referral Letter मुख्यालय स्तर से सदस्य-सचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

  
29/6/19  
(आलोक कुमार)  
सदस्य-सचिव